



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, केशोरयपाटन, (बूंदी)
जिला - बूंदी
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /18097590172
दिनांक: 04-04-2018
आवेदक का आधार नम्बर:
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामासाह कार्ड संख्या:

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री हर्षिता मेघवाल पुत्र/पुत्री श्री हेमराज मेघवाल गांव/नगर कोडिजा तहसील के० पाटन जिला/डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिका (संशोधन) आदेश 1956, ब्रम्हई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पञ्जाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अठमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (हादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (हादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (पांडचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सुश्री हर्षिता मेघवाल गांव/नगर कोडिजा तहसील के० पाटन जिला / डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

- नोट
1. यह प्रयोग साधारण निवासी का अर्थ नहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
 2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं एफ 21(37) एस जे ई /कम्यू /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के अन्तर्गत जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
 4. शायी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के निचे मान्य है।
 6. शायी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 180101466994

उपखण्ड अधिकारी, केशोरयपाटन, (बूंदी)

Signature valid

Digitally signed by Anshu Lal Meena
Designation: SUB DIVISIONAL
OFFICER
Shot on realme 9 2024 06:56 IST
By bhuvnesh Approved
Location:

